UPKU010000182006

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP06041

सत्र परीक्षण संख्या–128/2006

1. उ०प्र० सरकार,

...............अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. लालजी सिंह पुत्र देवनरायन सिंह,
साकिन–लक्ष्मीपुर टोला सिकटिया, थाना–रामकोला, जिला–कुशीनगर।

...................अभियुक्त,

मुकदमा अपराध संख्या–219/2005,
धारा–302/120B, 201 भा०दं०सं०,
थाना–हाटा,
जिला– कुशीनगर।

निर्णय

01. मुकदमा अपराध संख्या–219/2005 में अभियुक्तगण **लालजी सिंह, शब्बीर उर्फ साधू व श्रीमती दुर्गावती** के विरूद्ध थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर की पुलिस द्वारा धारा–302, 201, 120B भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया, जिसके आधार पर सत्र परीक्षण सं०–128/2006 संस्थित हुआ। दौरान विचारण अभियुक्तगण शब्बीर उर्फ साधू व श्रीमती दुर्गावती अनुपस्थित हो गये। अतः अभियुक्तगण शब्बीर उर्फ साधू व श्रीमती दुर्गावती की पत्रावली सत्र परीक्षण सं०–128/2006 से पृथक होकर सत्र परीक्षण सं०–5/2023, सरकार बनाम शब्बीर उर्फ साधू आदि के रूप में दर्ज की गयी, जिसमें अभियुक्तगण शब्बीर उर्फ साधू व दुर्गावती फरार हैं। उनका विचारण नहीं किया जा रहा है।

प्रस्तुत मामले में मात्र **अभियुक्त लालजी सिंह** का ही विचारण किया जा रहा है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा चौकीदार काशी पुत्र विन्देश्वरी, निवासी ग्राम–बेलवा सुदामा, थाना–हाटा, जिला–

कुशीनगर ने एक तहरीरी सूचना थाना-हाटा पर दिनांक 09.05.2005 को दिया कि "महोदय निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम बेलवा सुदामा का चौकीदार है। मेरे गांव के सरहद में कप्तानगंज, हाटा के पूरब बृजनरायन सिंह के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, आस-पास के सैकड़ों लोग देखे हैं, परन्तु कोई पहचान नहीं हो पा रही है। अतः प्रार्थना है कि उचित कार्यवाही की जाये।" यद्यपि कि पत्रावली में उक्त तहरीरी सूचना की मूल प्रति नहीं है।

03. उक्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना- हाटा पर अज्ञात शव मिलने की सूचना देने के पश्चात् उसका तस्करा रपट जी०डी० नं० 15 दिनांक 09.05.2005 समय 9:15 बजे अंकित किया गया तथा नकल रपट व जिल्द पंचायतनामा व अन्य कागजात कांस्टेबल नं० 128 परमहंस यादव व कां० जितेन्द्र बहादुर सिंह को देकर एस०एस०आई० श्री एस०एफ० सिद्दीकी, जो पहले से ही क्षेत्र में थे, को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। उस अज्ञात शव का पंचायतनामा के पश्चात् उसके पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम होने के पश्चात् वादी द्वारा दी गयी सूचना दिनांकित 09.05.2005 के आधार पर मामले को अपराध सं० 219/2005, धारा-302, 120B, 201 भा०दं०सं० पर लेकर रपट जी०डी० नं० 19 समय 10:30 बजे दिनांक 12.05.2005 को धारा-302, 201 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया। पेपर से पता चलने पर थाने पर शव का फोटो देखकर उसकी पहचान मृतक के भाई हरिलाल ने अपने भाई कन्हैया लाल के रूप में किया।

04. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल तहरीरी सूचना, नकल रपट, बयान गवाहान अंकित किये गये। तत्पश्चात वादी मुकदमा काशी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-11 बनाया गया तथा विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण **लालजी सिंह, शब्बीर उर्फ साधू व श्रीमती दुर्गावती** के विरुद्ध धारा-302, 201, 120B भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-18 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरूद्ध बिना आरोप विरचन के ही अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अंकित हो चुका था। इस बावत अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा **प्रार्थना पत्र कागज सं० 52क** दिनांकित 27.11.2025 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि 'पत्रावली में अभियुक्त लालजी सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं हुआ है और पत्रावली बिना आरोप विरचित किये साक्ष्य में चल रही है और साक्ष्य अंकित भी हो गया है। अतः बिना आरोप विरचन के सहबन अभियोजन साक्षियों के पूर्व में अंकित हो चुके बयान को आरोप विरचित करके पढ़ लिया जाये।' उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति (No Objection) अंकित किया गया और पूर्व अंकित बयानों को पढ़ लेने की सहमति दी गयी। तदोपरान्त मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को अभियुक्त **लालजी सिंह** के विरुद्ध **धारा-302/120B, 201 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत आरोप

विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

06. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया हैः–

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी का नाम**
1.	पी०डब्लू–1	योगेन्द्र
2.	पी०डब्लू–2	राजेन्द्र सिंह
3.	पी०डब्लू–3	डॉ० ताहिद अली
4.	पी०डब्लू–4	प्रदीप सिंह
5.	पी०डब्लू–5	मुंशी गुप्ता
6.	पी०डब्लू–6	राजेश सिंह
7.	पी०डब्लू–7	हदीश
8.	पी०डब्लू–8	उपनिरीक्षक चन्द्रभान साहनी
9.	पी०डब्लू–9	विवेचक निरीक्षक एस०एफ० सिद्दीकी

07. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये हैः–

क्रम संख्या	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
1.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू–3
2.	अज्ञात शव पड़े होने की वादी की सूचना पर अंकित नकल जी०डी० रपट नं० 15 दिनांकित 09.05.2005	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू–8
3.	कायमी मुकदमा नकल आमद तहरीर वादी	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू–8
4.	शव का पंचायतनामा	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू–9
5.	फोटोनाश	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू–9
6.	चालान लाश	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू–9
7.	नमूना मोहर	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू–9
8.	फर्द बरामदगी खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू–9
9.	फर्द बरामदगी साइकिल	प्रदर्श क– 9	पी०डब्लू–9
10.	रो० आ० रपट नं० 19	प्रदर्श क– 10	पी०डब्लू–9
11.	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क– 11	पी०डब्लू–9

12.	फर्द बरामदगी खून लगा कपड़ा	प्रदर्श क– 12	पी०डब्लू–9
13.	फर्द बरामदगी आला कत्ल छुरी	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू–9
14.	नकल रपट 25 बावत अभियुक्त व माल दाखिला की कार्बन प्रति	प्रदर्श क–14	पी०डब्लू–9
15.	नक्शा नजरी बरामदगी आला कत्ल	प्रदर्श क–15	पी०डब्लू–9
16.	नक्शा नजरी खून आलूदा पायजामा	प्रदर्श क–16	पी०डब्लू–9
17.	माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की रिपोर्ट	प्रदर्श क–17	पी०डब्लू–9
18.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–18	पी०डब्लू–9
19.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–19	न्यायालय द्वारा

08. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मृतक का फोटोग्राफ वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 संलग्न है।

09. अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया। पत्रावली अभियुक्त के बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत की गयी।

10. दिनांक 31.01.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि "मैं कत्तई घटना के पूर्व मृतक कन्हैया के घर नहीं गया था और न ही अपनी बहन दुर्गावती के कहने पर मृतक की हत्या किया। मैं कथित घटना में शामिल नहीं रहा हूँ। मैं निर्दोष हूँ।"

11. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि "अभियुक्त लालजी सिंह अपनी बहन सहअभियुक्ता श्रीमती दुर्गावती पत्नी बृजमोहन व सहअभियुक्त शब्बीर उर्फ साधू के साथ मिलकर षड्यन्त्र करके मृतक कन्हैया जो श्रीमती दुर्गावती का देवर था, की हत्या कर दी। मृतक कन्हैया की भाभी अभियुक्ता दुर्गावती अपने देवर कन्हैया से नाराज रहती थी, इसी वजह से देवर कन्हैया की हत्या करके शव को ग्राम बेलवा सुदामा, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर के बृजनरायन सिंह के खेत में फेंक दिया था। मृतक का शव वादी मुकदमा चौकीदार काशी के गांव बेलवा सुदामा की सरहद में बृजनरायन के खेत में पाया गया, जिसकी सूचना चौकीदार काशी द्वारा थाने पर दी गयी। मृतक के शव की फोटो, कपड़ा व साइकिल थाने पर

देखकर उसके भाई हरिलाल ने शव की पहचान अपने भाई कन्हैया के रूप में किया था। प्रस्तुत मामला **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्ता श्रीमती दुर्गावती जो कि मृतक कन्हैया के भाई बृजमोहन की पत्नी है, कन्हैया लाल अपनी भाभी दुर्गावती के व्यवहार से नाराज रहता था तथा उसे डांटता एवं मारता–पीटता था, जिससे उसकी भाभी दुर्गावती नाराज रहती थी। दुर्गावती ने अपने भाई अभियुक्त लालजी सिंह को पैसा देकर उसे ठिकाने लगाने के लिए कहा था, यह बात **मृतक के भाई प्रदीप सिंह** ने सुना था। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–5 मुंशी गुप्ता ने मृतक कन्हैया लाल को घटना से पूर्व अभियुक्त के साथ जीवित अवस्था में साइकिल पर ले जाते हुए देखा था। अभियुक्त लालजी सिंह ने कन्हैया लाल की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करके उसके शव को साक्ष्य छिपाने के आशय से बृजनरायन के खेत में फेंक दिया था। शव का पोस्टमार्टम करने वाले साक्षी पी०डब्लू–3 डॉ० ताहिद अली अंसारी ने मृतक कन्हैया के शरीर पर कुल 7 चोटें होना बताया है तथा मृतक की मृत्यु एंटीमार्टम इंजरी व शॉक के कारण होना साबित किया है। इस प्रकार इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में घटना का हेतुक (Motive) और अभियुक्त के साथ मृतक को अंतिम बार देखे जाने के तथ्यों को अभियोजन साक्षियों ने साबित किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त लालजी सिंह के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित है। अतः अभियुक्त लालजी सिंह दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

13. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि "अभियुक्त लालजी सिंह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। मामला **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में घटना का हेतुक साबित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मृतक कन्हैया लाल को अभियुक्त लालजी सिंह द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ ले जाते हुए जीवित अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया है। साक्षी पी०डब्लू–5 मुंशी गुप्ता को अभियोजन द्वारा लास्ट सीन का गवाह बताया गया है, किन्तु उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही बयान दिया है कि 'किस व्यक्ति को कौन लोग साइकिल पर ले जा रहे थे, वह पहचान नहीं पाया था।' मृतक की हत्या अभियुक्त द्वारा नहीं की गयी है। अभियुक्त लालजी सिंह घटना के पूर्व कन्हैया लाल के घर नहीं गया था और न ही उसने अपनी बहन दुर्गावती के कहने पर मृतक की हत्या किया है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप झूठा है। घटना का कोई मोटिव साबित नहीं है। अभियोजन द्वारा घटना का मोटिव यह बताया गया है कि मृतक कन्हैया लाल अपनी भाभी सहअभियुक्ता दुर्गावती को मारता–पीटता था, इसलिए वह नाराज रहती थी इसी वजह से घटना कारित की गयी है, किन्तु इस कथित मार–पीट व विवाद के बावत कभी कोई सूचना थाने पर अथवा किसी अधिकारी को नहीं दी गयी है। अभियोजन साक्षीगण ने भी अपने साक्ष्य से कथित मोटिव साबित नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य की कड़ियां टूटी हुई हैं। सम्पूर्ण अभियोजन कहानी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के बावत

झूठी है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित नहीं है। अतः अभियुक्त लालजी सिंह आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

15. अभियुक्त लालजी सिंह के विरूद्ध आरोप है कि वह दिनांक 09.05.2005 को समय अदम तहरीर, बहद स्थान–बेलवा सुदामा, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर में सहअभियुक्तगण शब्बीर उर्फ साधू व दुर्गावती के साथ मिलकर आपराधिक षड्यन्त्र कर कन्हैया को मार–पीटकर उसकी हत्या कारित किया तथा उसकी लाश को जलाकर साक्ष्य का विलोपन किया।

16. अभियोजन की ओर से अपने कथानक एवं अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये कुल 09 गवाहों को पेश कर परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित करे।

18. अब यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में कहाँ तक सफल रहा है?

19. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 योगेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "आज से लगभग 19 साल पहले मेरे गांव के पास एक अज्ञात लाश मिली थी। हल्ला होने पर मैं भी मौके पर लाश देखने गया था। दरोगा जी वहां आये थे। लाश की लिखा–पढ़ी हुई थी। लाश पुलिस ने सील की थी। पंचायतनामा दरोगा जी लिखे थे, पढ़कर सुनाये थे मैंने भी दस्तखत बनाया था। संलग्न पत्रावली कागज सं० 8क/1 ता 8क/2 पंचायतनामा अज्ञात शव साक्षी को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तस्दीक किया और अपने हस्ताक्षर की पहचान की। मेरे अलावा राजेन्द्र, रामआशीष, राजेश सिंह और अन्य लोग भी हस्ताक्षर बनाये थे। दरोगा जी बयान लिये थे।"

20. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "लाश थाने पर थी, फिर कहा लाश बगीचे में थी। लाश सन् 2005 में देखी थी। गर्मी का महीना था, तारीख मालूम नहीं है। मैं गया तो पुलिस वाले वहां मौजूद थे। दो–ढाई बजे दिन का समय था। लाश सील हो गयी थी। लाश सील होने के चार घण्टा बाद मैं मौके पर पहुँचा था। लाश क्या क्या पहने था, मैं नहीं जानता हूँ। कौन–कौन पुलिस के लोग थे, मैं नहीं बता सकता हूँ। दरोगा जी बयान नहीं लिये थे, पूछताछ नहीं किये थे। दरोगा जी ने सादे कागज पर मेरे दस्तखत कराये थे। मृतक के शरीर पर मैंने चोटों को नहीं देखा था, क्योंकि मेरे आने से पहले लाश सील हो चुकी थी। यह कहना गलत है कि मैंने जिस तरह का बयान दिया है, वैसी कोई घटना नहीं घटित हुई।"

21. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "आज से लगभग 19 साल पहले मेरे गांव के

सीवान के पास एक अज्ञात लाश मिली थी। सूचना पर मैं भी वहां गया था, काफी भीड़ हो गयी थी, वहां पुलिस के लोग व दरोगा जी भी आ गये थे। दरोगा जी ने पंचायतनामा पंच नियुक्त कर कार्यवाही मेरे सामने किया था। पंचायतनामा लिखकर पढ़कर सुनाकर हम सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। संलग्न पत्रावली कागज सं० 8क/1 ता 8क/2 पंचायतनामा मृतक अज्ञात साक्षी को दिखाया गया, पढ़कर सुनाया गया तस्दीक किया। दरोगा जी घटना स्थल से दो डिब्बों में खून वाली मिट्टी व सादी मिट्टी लिये थे। उसका लिखा–पढ़ी करके मुझसे दस्तखत कराये थे। शामिल मिसिल फर्द बावत खून आलुदा व सादी मिट्टी पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान की। घटना स्थल से एक साइकिल भी मिली थी, जिसके संबंध में दरोगा जी ने लिखा पढ़ी करके मेरा हस्ताक्षर बनवाये थे। संलग्न पत्रावली फर्द बावत लेने कब्जा साइकिल पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। दरोगा जी बयान लिये थे।"

22. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "लाश सील होने के बाद मैं वहां पहुंचा था। मृतक क्या क्या पहने था, मैं नहीं बता सकता हूँ। दरोगा जी हमसे चार पाँच कागज पर दस्तखत बनवा लिये थे। लाश सील होने के आधा घण्टा बाद मैं वहां पहुँचा था। मेरे सामने दरोगा जी कोई साइकिल बरामद नहीं किये न ही कोई मिट्टी खून वाली व सादी मिट्टी ही उठाये थे। मुझे लोगों ने बताया कि दरोगा जी साइकिल व मिट्टी भी कब्जे में लिये थे। मेरे सामने दरोगा जी कोई सादी मिट्टी या खून वाली मिट्टी का कागज नहीं बनाये थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। कौन से सन् में या कौन सी तारीख में लाश मिली थी, याद नहीं है। लाश सील हो रही थी तब मैं पहुँच गया था। मुझे नहीं पता है कि लाश कौन सिल रहा था। यह कहना गलत है कि मेरे सामने लाश सील नहीं हुई थी।"

23. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 डॉ० ताहिद अली अंसारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 09.05.2005 को मैं सी०एच०सी० दुदही, कुशीनगर में बतौर बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात था। एक अज्ञात शव उम्र लगभग 25 वर्ष पुरुष जो थाना हाटा के एस०एस०आई० एस०एफ० सिद्दीकी द्वारा सर्व मोहर इन्क्लोजर के साथ जिसे कां० परमहंस व कां० जीतेन्द्र सिंह द्वारा पी०एम० हाउस, कसया शव परीक्षण हेतु लाया गया। उस दिन पी०एम० हाउस में शव परीक्षण हेतु मेरी ड्यूटी लगी थी। शव का परीक्षण 4:00 PM पर किया गया था।

बाह्य परीक्षणः–

मृतक की कद कांठी औसत थी, पुरुष था। दोनों आँखे व मुँह खुला था। पी०एम० स्टेनिंग उपस्थित था। शव के डिपेन्डेन्ट पार्ट पर पी०ए० स्टेनिंग मौजूद था। अकड़न ऊपरी व निचले हिस्से पर मौजूद थी।

एण्टीमार्टम इंजरीः–

1. चेहरे पर 3 सेमी० X 2 सेमी० का अब्रेजन था।

2. इन्साइज्ड वुण्ड 11 सेमी० X 5 सेमी० गर्दन पर बायीं तरफ आइसो फेगस तक।
3. इन्साइज्ड वुण्ड 4 सेमी० X 2 सेमी० गर्दन के दायीं तरफ मसलडीप तक।
4. इन्साइज्ड वुण्ड 3 सेमी० X 1 सेमी० गर्दन के बायीं तरफ मसलडीप तक।
5. इन्साइज्ड वुण्ड 2 सेमी० X 1 सेमी० दाहिनी तरफ चेस्ट के पिछले तरफ मसलडीप तक।
6. इन्साइज्ड वुण्ड 1.2 सेमी० X 0.5 सेमी० पेट के पीछे दाहिने तरफ मसलडीप तक।
7. इन्साइज्ड वुण्ड 4 सेमी० X .5 सेमी० X मसलडीप दाहिने तरफ पीठ पर।

पहचान चिह्न अज्ञात शवः–

मृतक के शरीर की लम्बाई 5 फिट 5 इंच के लगभग थी, बाल काले थे, खतना का कोई लक्षण नहीं था।

आन्तरिक परीक्षणः–

गर्दन पर इन्साइज्ड वुण्ड ट्रैकिया व हाइड बोन टूटी हुई थी। रक्त के थक्के मौजूद थे। प्लयूरा कन्जेस्टेड, श्वास नली तथा बाह्य प्रणाली कन्जेस्टेड थे। दाहिना फेफड़ा व बायां फेफड़ा कन्जेस्टेड था। हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे। बायें गर्दन तरफ कटा हुआ था, बड़ी रक्त वाहिनी कटी हुई थी। पेट की भित्तियों में इन्साइज्ड वुण्ड था। आसोफेगस पूरा का पूरा कटा हुआ था। छोटी आंत में अधपचा भोजन मौजूद था। बड़ी आंत में मल व गैस उपस्थित, यकृत 1150 ग्राम गॉल ब्लैडर के साथ। गॉल ब्लैडर भरा हुआ था। प्लीहा 140 ग्राम, दोनों किडनी 250 ग्राम।

मृत्यु का सम्भावित समय एक दिन के अन्दर था।

मृत्यु का कारणः–

मृत्यु का कारण हेमरेज एण्ड शॉक ऐज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी था।

कुल 9 इन्क्लोजर थे, जिन्हें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर कांस्टेबल को प्राप्त कराया गया। मृतक के शरीर पर एक टी–शर्ट फुल, एक जोड़ी जूता व मौजे के साथ, फुल पैंट जींस एक, बेल्ट एक, सैण्डों बनियान एक, जनेउ धागा एक, चड्डी एक को सम्बन्धित कांस्टेबल को सुपुर्द किया गया। पत्रावली में संलग्न पी०एम० रिपोर्ट को साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की **प्रदर्श क–1** डाला गया।

24. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "मैं दिनांक 09.05.2005 को सी०एच०सी० दुदही में तैनात था। मैंने अज्ञात शव, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसका पोस्टमार्टम किया था। मैंने समय 4:00 बजे शाम

को पोस्टमार्टम किया था। मृतक के शव को एस०एस०आई० एस०एफ० सिद्दीकी द्वारा कां० परमहंस व कां० जीतेन्द्र द्वारा भेजा गया था। मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं करायी गयी थी। पुलिस द्वारा कुल 9 प्रपत्र मुझे मिले थे। पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी नहीं हुई थी। लाश के साथ कोई उसके परिजन नहीं आये थे। मृतक की मृत्यु दिनांक 08.05.2005 को सुबह 4:00 बजे की हो सकती है। साक्ष्य के समय मेरे सामने मृतक के शरीर पर पाये गये कपड़े आज नहीं है। मृतक को चोट संख्या 1 किसी स्थान पर गिरने से आ सकती है। मृतक के शरीर पर चोट सं० 1 को छोड़कर सारी चोटें किसी धारदार हथियार से आयी हैं। यदि मृतक किसी शार्प ऑवजेक्ट पर गिरे तो चोट सं० 2 ता 7 आ सकती हैं। मृतक 12 घण्टे के अंदर भोजन किया होगा। मृतक की दोनों आँखे खुली थी। मृतक के शरीर पर अकड़न थी, मरने के 6 घण्टे बाद अकड़न शुरू हो जाती है। यह कहना गलत है कि पुलिस के प्रभाव में गलत पोस्टमार्टम किया है।"

25. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 प्रदीप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "मेरे बड़े भाई का नाम बृजमोहन है, उनके साले का नाम लालजी सिंह है। आज से लगभग 19 वर्ष पूर्व लालजी मेरे घर आये थे और मेरे भाई कन्हैया लाल को अपने घर बुलाये थे। लालजी की बहन का नाम दुर्गावती है। दुर्गावती मेरे बड़े भाई की पत्नी है और मेरी भाभी लगती है। जिस दिन लालजी मेरे घर आये थे, उस दिन लालजी ने मेरी भाभी के कमरे में कुछ बात कहे थे। मेरी भाभी कुछ पैसा भी लालजी को दी और लालजी से कही थी कि जीवन की बात है यह काम हो जाना चाहिए, यह बात मैंने सुनी थी। उसके बाद लालजी उसी दिन मेरे भाई कन्हैया लाल को सिकटिया आने के लिए कहकर चले गये। उस दिन के दो दिन बाद मेरे भाई कन्हैया लाल साइकिल से सिकटिया लालजी के घर गये थे। उसके तीन–चार दिन बाद मेरा भाई कन्हैया लाल सिकटिया से लौटकर नहीं आये तब हम लोगों ने काफी खोजबीन किया था। पेपर में जब अज्ञात लाश के बारे में पता चला तब मेरा भाई हरिलाल थाना–को० हाटा गये थे तब मेरे भाई ने हाटा कोतवाली में फोटो, कपड़ा व साइकिल की पहचान किया था। मेरे भाई कन्हैया लाल मेरी भाभी को डांटते भी थे वह मारते भी थे। इससे मेरी भाभी अंदर ही अंदर बहुत नाराज रहती थी, लेकिन मेरी भाभी मेरे भईया बृजमोहन के डर की वजह से उनको कुछ बोल नहीं पाती थी तब हमको आशंका हो गयी थी तब मेरे भाई कन्हैया लाल की हत्या मेरी भाभी दुर्गावती ने सांठ–गांठ लालजी सिंह से करके करायी है। मुझे पक्का है कि मेरे भाई की हत्या लालजी सिंह से ही करायी है। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

26. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "हम पाँच भाई तीन बहनें हैं। मेरे बड़े भाई का नाम बृजमोहन है। बृजमोहन से छोटे कन्हैया सिंह हैं, उसके बाद हरिलाल हैं, उसके बाद प्रदीप है व उससे छोटा चंदन है। पहली बहन का नाम पार्वती है, दूसरी बहन का नाम रामवती है व तीसरी बहन का नाम कुसुमावती है। मेरे भाई कन्हैया की उम्र घटना के समय 30 वर्ष थी। मेरे बड़े भाई बृजमोहन की शादी सिकटिया गांव में हुई थी, सिकटिया किस थाने के

अन्तर्गत आता है मुझे मालूम नहीं है। कन्हैया की शादी नहीं हुई थी। घटना के समय हरिलाल भाई की शादी नहीं हुई थी। घटना के समय मेरी सभी बहनों की शादी हो गयी थी। घटना के समय हरिलाल की उम्र के बारे में नहीं बता सकता। घटना के समय बड़ी बहन की उम्र मैं नहीं बता सकता। कन्हैया पैंट शर्ट पहना करते थे। मेरे बड़े भाई हरिलाल कांडला (गुजरात) में प्राइवेट कंपनी में रहकर काम करते थे, किस सन् में कांडला काम करने गये थे मुझे मालूम नहीं है। सन् 2005 में मेरे भाई गुजरात कांडला से मजदूरी करके घर आये थे, किस महीने किस तारीख को घर आये थे मुझे मालूम नहीं है। किस तारीख को मेरे भाई कन्हैया मेरे बड़े भाई बृजमोहन की ससुराल के गांव सिकटिया गये थे मुझे मालूम नहीं है। मैं किस तारीख को किस महीना में अपने भाई हरिलाल व बृजमोहन थाना हाटा पर गये थे मुझे नहीं मालूम। किस तारीख किस महीना में अभियुक्त लालजी मेरे घर गये थे मुझे मालूम नहीं है। मेरे भाई कन्हैया पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन घटना के दिन क्या पहनकर गये थे मुझे मालूम नहीं है। किस तारीख, किस महीने में मेरे भाई घर से गये थे, मुझे मालूम नहीं है। जब लालजी मेरे घर गये तो अपनी बहन दुर्गावती से कुछ बात कर रहे थे क्या बातचीत हो रही थी मुझे मालूम नहीं है, फिर कहा कि काम हो जाना चाहिए। मेरे भाई रेंजर साइकिल से गये थे, किस कंपनी की साइकिल थी मुझे मालूम नहीं है। मुझे तारीख याद नहीं है कि किस तारीख को मेरे भाई कन्हैया की लाश मिली थी। जहां लाश मिली थी वहां मैं नहीं गया था। मुझे और मेरे परिवार वालो को कन्हैया की लाश नहीं मिली थी। लालजी मेरे घर किस महीना किस तारीख को गये थे, मुझे मालूम नहीं है। मृतक कन्हैया की लाश नहीं मिली थी, साइकिल व फोटो मिली थी। किस रंग का कपड़ा पहने थे मुझे मालूम नहीं है। पैंट शर्ट पहनते थे। मेरी आँखों के सामने घटना घटित नहीं हुई थी। लालजी को मैं शक के आधार पर मुल्जिम बनाया हूँ। घटना के संबंध में दरोगा जी मेरा बयान लिये थे, किस तारीख किस महीना में लिये थे मुझे मालूम नहीं है। जिस समय लालजी अपनी बहन दुर्गावती के कमरे में गये और दुर्गावती से बात कर रहे थे, उस समय मैं घर के आंगन में था। मेरी भाभी दुर्गावती के कमरे में फाटक है। उस दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ था, कितने रूपये लालजी को मेरी भाभी दी मैं देख नहीं पाया। मेरा भाई कन्हैया व बृजमोहन और मेरी भाभी तीनों लोग अच्छी तरह से घर में रहते थे। पुलिस के लोग किसी रजिस्टर पर मेरे हस्ताक्षर किये थे, जिस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये थे उस पर क्या लिखा था मुझे मालूम नहीं है। साइकिल हम लोग घर नहीं लेकर आये थे, थाने पर ही छोड़कर चले आये थे। घटना के संबंध में कौन एफ०आई०आर० कराया था मुझे मालूम नहीं है। यह कहना गलत है कि जिस तरह से मैंने बयान दिया उसी तरह से घटना हुई है। यह कहना गलत है कि मेरे भाई मेरे सामने घर से निकले थे।"

27. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 मुंशी गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "मेरे पिता का वास्तविक नाम द्वारिका है और पूरन मेरे चाचा हैं। घटना हुए 19 साल से ऊपर हो गया है। मैं शाम को खेत के तरफ मवन नाला की तरफ गया था देखा कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति को साइकिल

पर बैठाकर ले जा रहे थे। आपस में चर्चा कर रहे थे कि बहुत दारू पी लिया था। वे कौन व्यक्ति थे नहीं पहचान पाया, क्योंकि अँधेरा हो गया था। सुबह पता चला कि मवन नाला के पास एक लाश मिली थी। गांव में हल्ला हो गया था। शव के पास साइकिल मिली थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

28. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "घटना जिस दिन की है, रात हो गयी थी दिखायी नहीं दे रहा था। जो लाश मवन नाले के पास मिली थी, उसे कौन लाकर रखा था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जिस आदमी की लाश मवन नाले के पास मिली थी उस व्यक्ति को कौन ले जा रहा था नहीं बता पाऊँगा। जो साइकिल मौके पर मिली थी वह कैसी थी, किसकी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने किसी भी व्यक्ति को शराब के नशे में घटना के दिन आते जाते नहीं देखा था। मैं शव के पास नहीं गया था। शव किसका था मुझे नहीं मालूम है। मृतक के पास जो साइकिल मिली उस साइकिल को मैंने नहीं देखा था। दरोगा जी ने किस तारीख को किस स्थान पर मेरा बयान लिया था याद नहीं है। घटना के दिन मैं घर पर था, कहीं गया नहीं था। यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी थी।"

29. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 राजेश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "घटना हुए आज से 19 साल से ऊपर हो गया। मेरे गांव के बृजनरायण सिंह के खेत में एक लाश मिली थी। शोर पर मैं भी गया था, पुलिस आयी थी। मेरे सामने दरोगा जी पंचायतनामा तैयार किये थे। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली कागज सं० 8क/1 ता 8क/2 अज्ञात शव साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, इबारत को तस्दीक किया और अपने हस्ताक्षर की पहचान की। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। बाद पंचनामा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था।"

30. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "मृतक की लाश किस तारीख को मिली इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पंचनामें के बाद लाश कहां चली गयी थी मुझे नहीं मालूम है। लाश किसकी थी मुझे नहीं मालूम है। मृतक को कौन मारा था, मुझे नहीं मालूम है। लाश क्या पहने थी, मुझे जानकारी नहीं है। दरोगा जी पंचनामा के दिन ही पूछताछ किये थे। उसके बाद दरोगा जी मेरा दोबारा बयान नहीं लिये थे, वहां पुलिस आयी थी। मृतक के शरीर पर कहां–कहां चोटें थी, मैंने नहीं देखा था।"

31. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7 हदीश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "घटना हुए लगभग 20 साल हो गया है। पुलिस के लोग मेरे गांव में आये थे। पुलिस वाले शब्बीर के बारे में पूछ रहे थे, वहां पर प्रधान व गांव के बहुत से लोग आये थे। उस समय ग्राम प्रधान सुरेश पटले थे। कानूनी कार्यवाही के नाम पर मुझसे व सुरेश प्रधान से पुलिस ने सादे पेपर पर दस्तखत बनवाया था। मेरे सामने शब्बीर ने कोई पायजामा बरामद नहीं कराया था। मेरे सामने शब्बीर ने किसी कागज पर दस्तखत नहीं बनाया था। मैं लालजी को नहीं जानता हूँ। लालजी मेरे गांव के निवासी नहीं हैं। पुलिस ने लालजी व शब्बीर को

मेरे सामने गिरफ्तार नहीं किया था। लालजी ने मेरे सामने कोई चाकू या छुरी बरामद नहीं कराया था। पुलिस वाले जब गांव में आये थे तो कई सादे पन्ने पर मुझसे व प्रधान जी से दस्तखत बनवाये थे। फर्द बरामदगी कागज सं० 12क/1 साक्षी को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इबारत से इंकार किया, अपने हस्ताक्षर की पहचान की। पुलिस वालो ने कुछ प्रिंटेड कागज पर भी मुझसे हस्ताक्षर बनवाये थे। पुलिस ने मेरे सामने लालजी को गिरफ्तार नहीं किया था। संलग्न पत्रावली फर्द कागज सं० 12क/2 बावत लेने कब्जा आला कत्ल छुरी साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया इबारत से इंकार किया अपने हस्ताक्षर की पहचान की। दरोगा जी ने बयान नहीं लिया था।" इस साक्षी को अभियोजन द्वारा **पक्षद्रोही घोषित** कर अभियोजन की ओर से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी ने कहा है कि "मैं पुलिस की सूचना पर न्यायालय आया हूँ। शब्बीर उर्फ साधू मेरे गांव का निवासी है। अभियुक्त लालजी को मैं नहीं जानता हूँ। मेरे सामने पुलिस ने शब्बीर व लालजी को गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 20 साल पहले पुलिस किसी जाँच में मेरे गांव आयी थी, मैं भी वहां गया था। पुलिस ने मुझसे फर्द पन्ने पर दस्तखत बनवाया था। शब्बीर इस समय कहां है, मैं नहीं जानता हूँ। शब्बीर जिस दिन पुलिस आयी थी, वहां पर वह था या नहीं मैं नहीं बता पाऊँगा। पुलिस ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था या नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे सामने पुलिस ने लालजी व शब्बीर को गिरफ्तार नहीं किया था। मेरा घर बड़हरा लक्ष्मीपुर सोहनपुर में है। सिकटिया टोला मेरे गांव से एक डेढ़ किलोमीटर पर है। मैंने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि "दिनांक 14.05.2005 को समय लगभग 12:15 बजे आपने मेरे व ग्राम प्रधान के सामने शब्बीर को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान दिनांक 08.05.2005 को बेलवा सुदामा के सरहद में कन्हैया की हत्या करने की बात बतायी। यह भी बताया कि हत्या के समय जो पायजामा मैंने पहना था, वह अपने छप्पर के अंदर छिपाकर तख्ते के नीचे रखा हूँ, क्योंकि उस पर काफी खून लग गया था और उसने चलकर छप्पर के नीचे से पायजामा निकाल कर दिया, जिस पर काफी खून लगा था। आपने हम लोगों के सामने पायजामा को लिख–पढ़कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया, मैंने लिखा–पढ़ी पर अपना हस्ताक्षर बनाया।" मैंने विवेचक को यह भी बयान नहीं दिया था कि 'माल मुल्जिम के साथ मुझे तथा सुरेश को लेकर बेलवा सुदामा जहां दिनांक 08.05.2005 को 8:00 बजे रात कन्हैया नाम के व्यक्ति की हत्या की बात अभियुक्तगण बता रहे थे, वहां जीप रोड पर खड़ी हुई कि अभियुक्त लालजी जीप से उतरकर आगे आगे चलकर शीशम की झांड़ी में छिपी हुई छुरी निकालकर दिया और कहा कि यह वही छुरी है जिससे हत्या किया गया था।" धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने इंकार किया, कहा ऐसा बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त शब्बीर ने मेरे सामने खून लगा एक कपड़ा (पायजामा) निकालकर दिया था। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त लालजी ने आलाकत्ल छुरी मेरे सामने बरामद कराया था। यह भी कहना गलत है कि लालजी व शब्बीर ने मिलकर कन्हैया की हत्या किया था। यह कहना

गलत है कि फर्द बरामदगी कागज सं० 12क/1 ता 12क/2 मेरे सामने लिखकर, सुनकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे ग्राम सभा के हैं, उनके प्रभाव में झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

32. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "सुरेश प्रधान इस समय मर गये हैं। पुलिस ने कोई पायजामा व छुरी मेरे सामने बरामद नहीं किया था।"

33. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक चन्द्रभान साहनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 09.05.2005 को मैं बतौर कां० मोहर्रिर थाना–को० हाटा, कुशीनगर में तैनात था। उस दिन बेलवा सुदामा गांव का चौकीदार काशी एक लिखित सूचना बावत अज्ञात शव मिलने की दिया था, जिसके आधार पर समय 9:15 बजे दिनांक 09.05.2005 को रो०आ० में सूचना का उल्लेख किया, जिसकी अग्रिम कार्यवाही हेतु थाने के दो सिपाहियों का नकल रपट, पंचायतनामा जिल्द मय चौकीदार सहित विवेचक अभिलेख जाँच कर्ता उपनिरीक्षक एस०एफ० सिद्दीकी के पास भेजा था। घटना की सूचना प्रभारी व अफसरान को दी गयी। संलग्न पत्रावली कागज सं० 7क को देखकर साक्षी ने मूल के साथ एक ही प्रॉसेस में तैयार होना बताया व अपने सूक्ष्म हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–2** डाला गया। सूचना की मैंने नकल भी किया था, जो संलग्न पत्रावली कागज सं० 4क/4 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ, **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक मेरा बयान लिये थे।"

34. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "चौकीदार सूचना लेकर मेरे पास दिनांक 09.05.2005 को समय 9:15 बजे आया था। याद नहीं है कि चौकीदार तहरीर लिखकर लाया था या किसी से लिखवाकर लाया था। चौकीदार द्वारा दी गयी मूल तहरीर पत्रावली में शामिल नहीं है। मैंने पहले जी०डी० कायमी तैयार की थी। जी०डी० कायमी के बाद मैंने चिक तैयार की थी। प्रदर्श क–3 मेरे हस्तलेख में है। प्रदर्श क–3 जब जाँचकर्ता जाँच कर आये उसके पश्चात् तैयार की थी। रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 की कार्बन कॉपी वापसी एस०एस०आई० मु०अप०सं०–219/2005, अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० के आधार पर तैयार की है। प्रदर्श क–3 तहरीर हिन्दी वादी की मूल पत्रावली में नहीं है। चौकीदार के प्रार्थना पत्र जी०डी० में सूचना दर्ज की गयी। रपट दर्ज नहीं की गयी, बल्कि रपट सूचना दर्ज किया गया। वादी द्वारा दी गयी सूचना स्वयं विवेचक/जाँचकर्ता के लिखित सूचना के आधार पर घटना का संक्षिप्त विवरण मैंने प्रदर्श क–3 में दर्ज किया था। दिनांक 12.05.2005 या 15.05.2005 की तिथि एस०एस०आई० द्वारा सूचना दी गयी थी। पत्रावली में नकल चिक नहीं है। प्रदर्श क–3 प्रमाणित मूल प्रति है। विवेचक को नकल रपट चौकीदार द्वारा दी गयी सूचना मय जिल्द पंचायतनामा वैधानिक कार्यवाही हेतु दो आरक्षियों के साथ घटना के दिन ही दी गयी थी। चौकीदार द्वारा दी गयी तहरीर की छायाप्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान

लिया था। पंचायतनामा होने के बाद मैंने प्रदर्श क–3 तैयार किया, जिसका उल्लेख रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 में अंकित है। अभियुक्त का नाम व पता विवेचक ने अपने वापसी रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 में उल्लेख किया है। उसी आधार पर प्रदर्श क–3 स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गयी है। यह कहना गलत है कि विवेचक के कहने पर प्रदर्श क–3 स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है।"

35. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–9 सेवानिवृत्त एस०एफ० सिद्दीकी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 09.05.2005 को मैं एस०एस०आई० के पद पर थाना हाटा, कुशीनगर में तैनात था। उस दिन ग्राम बेलवा सुदामा के चौकीदार काशी द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि हाटा कप्तानगंज रोड पर बेलवा सुदामा ग्राम के सरहद में बृजनरायन सिंह के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। इस सूचना पर कां० जीतेन्द्र व कां० परमहंस यादव को साथ लेकर मैं मौके पर पहुंचा शव की शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया, शिनाख्त न होने पर शव का पंचायतनामा तैयार कर विधिक तरीके से शव को पी०एम० हेतु रवाना किया। शामिल मिसिल कागज सं० 8क/1 ता 8क/2 पंचायतनामा मृतक पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–4** डाला गया। संलग्न पत्रावली फोटोनाश कागज सं० 8क/3 पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–5** डाला गया। प्रपत्र 13 शामिल मिसिल कागज सं० 8/4 पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–6** डाला गया। शामिल मिसिल नमूना मोहर पर बने अपने हस्ताक्षर व हस्तलेख की पहचान की, **प्रदर्श क–7** डाला गया। दौरान पंचायतनामा मौके पर पड़ी एक साइकिल तथा घटना स्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गयी। संलग्न पत्रावली फर्द बावत खून आलूदा व सादी मिट्टी को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–8** डाला गया। फर्द बावत कब्जा लेने साइकिल पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–9** डाला गया। दिनांक 10.05.2005 व 11.05.2005 को मैं अज्ञात शव के संबंध में क्षेत्र में घूमकर पतारसी सुरागरसी किया, दिनांक 12.05.2005 को थाने पर आया तो मृतक अज्ञात का पी०एम० रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मेरे द्वारा मु०अप०सं०–219/2005, अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० तारीख सूचना दिनांक 09.05.2005 समय 9:15 बजे कायमी दिनांक 12.05.2005 समय 10:30 बजे वादी श्री काशी पुत्र बिन्देश्वरी, बेलवा सुदामा थाना हाटा, कुशीनगर बनाम अज्ञात पंजीकृत किया तथा प्रभारी निरीक्षक हाटा के आदश से विवेचना ग्रहण किया गया। जिसका तस्करा रो०आ० पर रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 थाना को० हाटा पर अंकित है, जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है। साक्षी ने इबारत को तस्दीक किया, अपने सूक्ष्म हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–10** डाला गया। दौरान विवेचना पर्चा नं० 1 दिनांक 12.05.2005 को किता किया, जिसमें नकल रपट नं० 15 दिनांक 09.05.2005 चौकीदार द्वारा दी गयी सूचना का उल्लेख है तथा इसी पर्चे में पी०एम० रिपोर्ट का उल्लेख

करते हुए कायमी मुकदमा का उल्लेख है एवं नकल रपट नं० 19 जिस पर तरमीम जुर्म का कायमी मुकदमा किया गया है तथा कां० मोहर्रिर चन्द्रभान साहनी का बयान लिया जिसके द्वारा जी०डी० लिखी गयी है एवं रपट नं० 20 पर यह तस्करा अंकित किया गया है कि आमद आगन्तुक व दाखिला प्रार्थना पत्र बावत दिलाने कपड़ा आगन्तुक श्री हरिलाल पुत्र रामनरायन सिंह, साकिन–सुरचक, थाना–गौरी बाजार, जिला–देवरिया को पी०एम० से प्राप्त मृतक का कपड़ा फोटो व मौके से बरामद साइकिल दिखायी गयी तो देखकर बताया कि मृतक का फोटो कपड़े व साइकिल मेरे भाई कन्हैया लाल की है। श्री हरिलाल का घटना के संबंध में बयान लेने का प्रयास किया तो बताया कि अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे दिन बयान दूंगा। केस डायरी में पंचायतनामा की नकल की गयी व पी०एम० रिपोर्ट के अवलोकन का विवरण अंकित है तथा फर्द लेने बावत साइकिल व खून आलूदा व सादी मिट्टी का उल्लेख किया गया, बयान वादी काशी व पंचायतनामा व फर्द के गवाह रामचन्द्र, रामआशीष सिंह, राजेश, योगेन्द्र व नन्दलाल का बयान लिया गया। मुकदमा वादी काशी के निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया तथा मौके पर नक्शा नजरी तैयार की गयी। शामिल मिसिल नक्शा नजरी कागज सं० 12 क मेरे हस्ताक्षर व हस्तलेख में है, तस्दीक किया **प्रदर्श क–11** डाला गया तथा साक्षी मुंशी गुप्ता व विनोद कुमार का बयान लिया गया है। पर्चा नं० 2 दिनांक 13.05.2005 को किता किया जिसमें मृतक के भाई हरिलाल का बयान लिया, जिसमें हरिलाल सिंह ने बताया कि मेरे भाई बृजमोहन के साले लालजी ग्राम सिकटिया, थाना–रामकोला, कुशीनगर के रहने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा हत्या करायी गयी है। जिसमें उनकी बहन दुर्गावती की भी सांठ–गांठ है। इसी पर्चे में बृजमोहन सिंह का बयान लिया गया तथा साक्षी प्रदीप का बयान लिया गया। साक्षी राजेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान सूरचक, साक्षी भगवती सिंह का भी बयान लिया गया। मृतक का साला लालजी की तलाश किया नहीं मिले। पर्चा नं० 3 दिनांक 14.05.2005 को किता किया गया, जिसमें ग्राम बड़हरा के प्रधान सुरेश पटेल से पूछताछ का विवरण अंकित है तथा अभियुक्त लालजी की गिरफ्तारी तथा बयान लिया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए घटना का विस्तृत विवरण किया गया है। अभियुक्त शब्बीर उर्फ साधू की गिरफ्तारी व उसका बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया तथा अभियुक्त शब्बीर की निशानदेही पर उसके घर से उसका खून लगा पायजामा बरामद कर फर्द तैयार करने एवं अभियुक्त लालजी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी बरामद कर फर्द तैयार करने का विवरण अंकित है। संलग्न पत्रावली कागज सं० 12 क/1 बरामद पायजामा खून लगा हुआ पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की **प्रदर्श क–12** डाला गया। संलग्न पत्रावली कागज सं० 12 क/2 आला कत्ल छुरी पर बने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की **प्रदर्श क–13** डाला गया। शामिल मिसिल नकल रपट 25 समय 15:40 रो०आ० दिनांक 14.05.2005 बावत अभियुक्तगण व माल दाखिला की कार्बन प्रति की पहचान की, **प्रदर्श क–14** डाला गया। पर्चा नं० 4 दिनांक 15.05.2005 को किता किया, जिसमें अभियुक्ता

दुर्गावती की गिरफ्तारी व बयान लेने का विवरण अंकित है एवं धारा–120B भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। पर्चा नं० 5 दिनांक 16.05.2005 को किता किया गया है, जिसमें बयान कां० राजेश व शशांक लिया गया तथा फर्द के गवाह सुरेश सिंह तथा हदीश का बयान अंकित करते हुए उन्हीं की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल बरामदगी खून आलूदा पायजामा व निरीक्षण घटना स्थल बरामदगी चाकू अंकित किया गया है। संलग्न पत्रावली कागज सं–० 12क/2 नक्शा नजरी बावत आला क़्तल छुरी पर बने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–15** डाला गया। संलग्न पत्रावली कागज सं० 12क/3 नक्शा नजरी खून आलूदा पायजामा पर बने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–16** डाला गया। पर्चा नं० 6 दिनांक 23.05.2005 को किता किया गया, जिसमें माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के लिए हे० मोहर्रिर को निर्देशित किया गया है। पर्चा नं० 7 दिनांक 28.05.2005 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का रिमाण्ड व माल को सी०जे०एम० साहब, कुशीनगर से डाकेट तैयार कराकर कां० चतुर्भुज त्रिपाठी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का विवरण अंकित है। शामिल मिसिल डाकेट कागज सं० 15क/5 पर बने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की, **प्रदर्श क–17** डाला गया। पर्चा नं० 8 दिनांक 02.06.2005 को किता किया गया, जिसमें माल मुकदमाती को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के लाट सं० 4490 पर दाखिला होने का विवरण अंकित है तथा इसी पर्चे में तमामी तफ्तीश, बयान गवाहानात निरीक्षण घटना स्थल, बरामदगी आला कत्ल व खून लगा पायजामा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण लालजी सिंह, शब्बीर उर्फ साधू व दुर्गावती के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.06.2005 को प्रेषित किया। संलग्न पत्रावली आरोप पत्र कागज सं० 3क पर बने हस्ताक्षर व हस्तलेख की पहचान की **प्रदर्श क–18** डाला गया। पंचायतनामा के समय शव की फोटोग्राफी करायी गयी थी। संलग्न पत्रावली साक्षी को दिखाया गया साक्षी ने तस्दीक किया वस्तु प्रदर्श क्रमशः 1 व 2 डाला गया।"

36. बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में इस साक्षी ने कहा है कि "मुकदमें की विवेचना दिनांक 12.05.2005 को मुझे को० हाटा में मिली थी। मुकदमा मेरी वापसी के बाद पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में मुझे काशी चौकीदार की तहरीर, पंचायतनामा, पी०एम० रिपोर्ट मिला था। पंचायतनामा के समय मृतक की पहचान किसी ने नहीं की थी। मृतक के शव के पास से एक साइकिल बरामद हुई थी, वह साइकिल आज मेरे सामने नहीं है। चौकीदार की तहरीर की मूल इस पत्रावली में नहीं है। मृतक के शरीर पर पाये गये कपड़ों का विवरण पंचायतनामा में अंकित किया था, पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। आला कत्ल व कपड़े या माल मुकदमाती इस समय मेरे सामने नहीं है। मृतक लगभग 25 वर्ष का था। मृतक का हुलिया पंचनामा में अंकित है, पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। मृतक अंतिम बार लालजी के साथ देखा गया था यह बात गवाह नरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान ने बतायी थी। नरेन्द्र सिंह ने यह बात मुझे किस स्थान, किस दिनांक को बतायी थी, केस डायरी देखकर बता सकता हूँ। अन्य किसी गवाह ने लालजी

को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने की बता नहीं बतायी थी। मृतक की हत्या का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। मृतक की साइकिल मृतक के परिवार वालो को दे दी गयी थी, याद नहीं है कि मृतक के परिवार के किस व्यक्ति को साइकिल सुपुर्द की गयी थी। मृतक के शव की पहचान मृतक के भाई ने दिनांक 12.05.2005 को उसकी फोटो व कपड़े देखकर की थी। अभियुक्त लालजी की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी हुई थी। आला कत्ल की बरामदगी घटना स्थल के पास से ही शीशम के झाड़ से अभियुक्त लालजी की निशानदेही पर हुई, तारीख व समय याद नहीं है। आला कत्ल की फर्द मौके पर तैयार की गयी थी, तारीख व समय याद नहीं है। फर्द के गवाहों का नाम पता इस समय याद नहीं है, केस डायरी देखकर बता सकता हूँ। फर्द बरामदगी मैंने तैयार की थी। अभियुक्त साधू उर्फ शब्बीर का खून लगा पायजामा बरामद हुआ था। फर्द बरामदगी खून लगा पायजमा फर्द मैंने तैयार किया था। फर्द बरामदगी के गवाह का नाम पता याद नहीं है। घटना स्थल का निरीक्षण मैंने वादी काशी की निशानदेही पर तैयार किया था, समय व दिनांक याद नहीं है। मृतक की जहां लाश मिली वहीं उसकी हत्या हुई थी। किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना होते नहीं देखी थी। इसलिए जहां मृतक का शव पड़ा था, वहीं हत्या का स्थान है लेकिन पर्टीक्यूलर स्थान नक्शा नजरी में दर्शित नहीं है कि हत्या कहां हुई। नक्शा नजरी के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण क्या है याद नहीं है, पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। फर्द बरामदगी आला कत्ल की चौहद्दी मैं पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। हत्या की साजिश मृतक के घर पर अभियुक्त लालजी व उसकी बहन दुर्गावती द्वारा की गयी थी। मृतक के दोनों भाइयों ने साजिश को सुना था, किस तारीख व किस समय सुना था यह नहीं पता है। मृतक का पी०एम० मुझे दिनांक 12.05.2005 को मिला था। मृतक के गले पर व अन्य भाग में चोटें आयी थी। सभी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मैंने किया था, कहां व किस समय की याद नहीं है। गवाहों के बयान मुझे जुवानी याद नहीं हैं, केस डायरी देखकर बता सकता हूँ। मृतक के भाई के बयान से अभियुक्तगणों का नाम प्रकाश में आया था। मृतक के भाई का नाम याद नहीं है। मृतक के भाई का बयान मैंने थाने पर लिया था, दिनांक व समय याद नहीं है। प्रदर्श क–3 की मूल तहरीर पत्रावली में नहीं है। तथ्य के साक्षी यदि पक्षद्रोही हो गये हैं तो इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह कहना गलत है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी, मैं जानबूझकर अभियुक्तगण को फर्जी रूप से फंसाने के लिए हत्या के केस में गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हूँ।"

37. इस प्रकार अभियोजन की ओर से कुल 09 साक्षीगण पेश कर परीक्षित कराये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्षीगण के बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया।

38. अभियोजन केस यह है कि अभियुक्त लालजी सिंह ने दिनांक 09.05.2005 को समय अदम तहरीर, बहद स्थान–बेलवा सुदामा, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर में सहअभियुक्तगण शब्बीर उर्फ साधू व दुर्गावती के साथ मिलकर आपराधिक षड्यन्त्र कर कन्हैया को मार–पीटकर उसकी हत्या कारित किया तथा

उसकी लाश को जलाकर साक्ष्य का विलोपन किया।

39. उल्लेखनीय है कि मामला **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में मृतक कन्हैया लाल की मृत्यु कारित करते हुए किसी अभियोजन साक्षी द्वारा देखा नहीं गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयज् विधियों में कहा गया है कि जहाँ अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो वहां सदोषिता का निष्कर्ष उचित ठहराने के लिए अभियोजित तथ्य अभियुक्त के निर्दोष होने से असंगत होना चाहिए और इससे ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए जो कि अभियुक्त की सदोषिता के अतिरिक्त किसी अन्य संगत परिकल्पना का समर्थन करता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयज् विधियों में सावधान किया है कि परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, उन्हें केवल संदेह पर आधारित नहीं होना चाहिए, चाहे वे कितनी ही गंभीर प्रकृति की क्यों न हों। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **जवाहरलाल दास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1388** एवं **नथिया बनाम स्टेट (2016)10 एस०सी०सी० 298** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के संबंध में विभिन्न सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है तथा कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को दोषसिद्धि का आधार तभी बनाया जा सकता है जबकि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती होः–

1. जिन परिस्थितियों में सदोषता का निष्कर्ष निकालना अपेक्षित हो, वह ठोस और अकाट्य रूप में प्रमाणित होनी चाहिए।
2. परिस्थितियाँ इतनी निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे बिना किसी त्रुटि के यह संकेत मिले की अभियुक्त ही दोषी व्यक्ति है।
3. परिस्थितियों को संचयी रूप से लेते हुए ऐसी पूर्ण श्रृंखला स्थापित होनी चाहिए कि जिससे इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता न हो कि सभी सम्भावनाओं को देखते हुए अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है।

40. इसी प्रकार **लक्ष्मण बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1994(3) एस०सी०सी० पेज 381** की निर्णयज विधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि करने के लिए जिन परिस्थितियों का आश्रय लिया जाता है, उन्हें पूर्णतया साबित किया जाना चाहिए और परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत होने वाली साक्ष्य की श्रृंखला को इस सीमा तक पूर्ण होना चाहिए कि किसी भी ऐसे निष्कर्ष के लिए कोई युक्ति–युक्त आधार न बचने पाये जो कि अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत हो।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयज विधियों में यह भी कहा गया है कि 'जिन परिस्थितियों से अभियुक्त की सदोषता के संबंध में निष्कर्ष निकालना हो, उन्हें न केवल पूर्ण रूपेण साबित किया जाना चाहिए वरन्

इस प्रकार से साबित की गयी सभी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होना चाहिए और वे अभियुक्त की सदोषता की परिकल्पना से सुसंगत हो, उनसे इस आधार पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना सम्भव न हो जो कि अभियुक्त की सदोषता के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के संगत हो और सभी परिस्थितियों को संचयी रूप से देखते हुए केवल यह निष्कर्ष अनिवार्यतः निकाला जाता हो कि केवल अभियुक्त ही वह व्यक्ति है, जिसने अपराध किया है।'

42. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में **शरद विरदीचन्द शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए०आई०आर० 1984 (सु०को०) 1622** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

The facts show establish should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency. There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. इसी आशय का अभिमत माननीय न्यायालय ने विधि **धर्मेदेव यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (2014)5 एस०सी०सी० 509** में भी व्यक्त किया है।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये सिद्धान्त से स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु बहुत ही ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

44. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना दिनांक 09.05.2005 की बतायी गयी है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा काशी द्वारा अज्ञात शव बृजनरायन के खेत में पाये जाने की सूचना थाना–हाटा पर दी गयी। उक्त सूचना के पश्चात् शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम होने के पश्चात् उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर स्पेशल रिपोर्ट पुलिस ने तैयार कर मामले में अभियोग पंजीकृत किया। शव की पहचान उसके भाई हरिलाल द्वारा थाने पर फोटो, कपड़ा व साइकिल देखकर अपने भाई कन्हैया लाल के रूप में की गयी। अभियोजन के अनुसार मृतक कन्हैया लाल की भाभी सहअभियुक्ता दुर्गावती ने नाराजगीवश अपने भाई अभियुक्त लालजी सिंह व अन्य सहअभियुक्त शब्बीर उर्फ साधू के साथ मिलकर षड्यन्त्र करके कन्हैया लाल की हत्या कर व कराकर साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से उसे बृजनरायन के खेत में फेंक दिया। जिसकी सूचना चौकीदार काशी ने थाने पर दिया था।

45. अभियोजन की ओर से आरोप को साबित करने के लिए परीक्षित साक्षियों का विवेचन करने से स्पष्ट है कि **साक्षी पी०डब्लू–1 योगेन्द्र** शव

के पंचायतनामा का गवाह है। इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि 'आज से 19 साल पहले मेरे गांव के पास एक अज्ञात लाश मिली थी, वह लाश देखने गया था। दरोगा जी आकर लिखा पढ़ी किये थे। लाश सील की गयी थी। पंचायतनामा उसे पढ़कर सुनाया गया था और उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे।' बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि लाश बगीचे में थी, फिर कहा है कि थाने पर थी। लाश को गर्मी के महीने में सन् 2005 में देखा था। लाश क्या पहने था, नहीं जानता है। उस समय पुलिस के कौन कौन लोग थे नहीं बता सकता। यह भी कहा है कि दरोगा जी ने सादे कागज पर उसका दस्तखत करवाया था। मृतक के शरीर पर चोटों को उसने नहीं देखा था, क्योंकि लाश सिली जा चुकी थी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से साक्षी का लाश को देखना व लाश का पंचायतनामा उसके सामने होना संदेहास्पद हो जाता है। उसने सादे कागज पर दस्तखत किया था। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पायी जाती है और इसके साक्ष्य से अभियोजन केस को कोई बल नहीं मिलता है। इसी प्रकार **साक्षी पी०डब्लू–2 राजेन्द्र सिंह** भी मृतक कन्हैया लाल के शव के पंचायतनामा खून आलूदा, सादा मिट्टी व मृतक की कथित साइकिल की बरामदगी का गवाह बताया गया है। इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि 'आज से लगभग 19 साल पहले मेरे गांव के सिवान के पास एक अज्ञात लाश मिली थी, सूचना पर मैं भी वहां गया था भीड़ थी। दरोगा जी भी आ गये थे और मेरे सामने पंचायतनामा की कार्यवाही किये थे तथा पंचायतनामा लिख–पढ़कर सुनाये थे और हस्ताक्षर कराये थे। दरोगा जी ने घटना स्थल से दो डिब्बों में खून वाली मिट्टी व सादी मिट्टी लिये थे उसकी फर्द पर दस्तखत कराये थे। घटना स्थल से साइकिल भी मिली थी, उसकी लिखा पढ़ी भी किये थे।' बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि मृतक क्या पहने था, नहीं बता सकता है। दरोगा जी ने उससे चार–पाँच कागज पर दस्तखत करवा लिया था, उसके सामने कोई साइकिल बरामद नहीं हुई थी, न ही कोई खून आलूदा या सादा मिट्टी ही दरोगा जी ने कब्जे में लिया था। लोगों ने उसे बताया था कि दरोगा जी साइकिल व मिट्टी भी कब्जे में लिये थे। जब लाश सील हो रही थी तब वह पहुँचा था। किस सन् में कौन सी तारीख में लाश मिली थी, उसे याद नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी को लाश किस सन् में कौन की तारीख में मिली थी, याद नहीं है। साक्षी ने खून आलूदा व सादी मिट्टी व साइकिल भी अपने सामने कब्जे में लिये जाने के तथ्य से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नहीं करती। **साक्षी पी०डब्लू–3 डॉ० ताहिद अली अंसारी** ने मृतक कन्हैया के शव का पोस्टमार्टम किया है। उसने अपने बयान में कहा है कि 'दिनांक 09.05.2005 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदही, कुशीनगर में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात था। उसने एक अज्ञात शव उम्र लगभग 25 वर्ष को पुलिस द्वारा लाये जाने पर शव का पोस्टमार्टम 4:00 PM पर किया था। साक्षी ने मृतक के शरीर पर कुल 7 चोटें आना दर्शाया है, जिसमें चोट नं० 1 को अब्रेजन होना बताया है तथा शेष चोटें 2 लगायत 7 को इन्साइज्ड वुण्ड जो गर्दन पर मसलडीप तक सीने पर, पेट के पीछे की तरफ

मसलडीप तक और दाहिने तरफ पीठ पर भी मसलडीप तक चोट होना बताया है और कहा है कि उसके गर्दन पर इन्साइज्ड वुण्ड व ट्रैकिया व हाइड बोन टुटी हुई थी। खून के धब्बे मौजूद थे। श्वास नली कन्जेस्टेड थी और बायें गर्दन की तरफ कटा हुआ घाव था। बड़ी रक्त वाहिनी कटी हुई थी, पेट की भित्तियों में भी इन्साइज्ड वुण्ड था। साक्षी ने मृतक की मृत्यु का कारण साक्षी ने एक दिन के अंदर 'हैमरेज एण्ड शॉक ऐज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी' होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में भी साक्षी ने शव का शाम 4:00 बजे पोस्टमार्टम करना बताया है और कहा है कि मृतक के शव को एस०एस०आई० श्री एस०एफ० सिद्दीकी द्वारा कां० परमहंस व कां० जितेन्द्र से भेजा गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे प्राप्त नहीं करायी गयी थी। पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी नहीं हुई थी। लाश के साथ कोई परिजन नहीं आये थे। साक्षी की राय में मृतक की मृत्यु दिनांक 08.05.2005 को सुबह 4:00 बजे की हो सकती है। साक्ष्य के समय मृतक के शरीर पर जो कपड़े थे, वह उसके सामने नहीं हैं। मृतक को चोट नं० 1 गिरने से आ सकती है, शेष चोटें 2 लगायत 7 धारदार हथियार से आ सकती हैं। यदि मृतक किसी शार्प ऑवजेक्ट पर गिरे तो चोट नं० 2 लगायत 7 आ सकती हैं। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से मात्र इतना साबित होता है कि मृतक कन्हैया लाल की मृत्यु धारदार हथियार से मर्म भाग पर चोट पहुँचाकर की गयी है, किन्तु यह चोटें अभियुक्त लालजी द्वारा ही पहुँचाकर मृतक की हत्या की गयी हो इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं है।

46. उक्त के अतिरिक्त अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू–4 प्रदीप सिंह** की साक्ष्य को देखा जाये तो यह साक्षी मृतक कन्हैया लाल का भाई है। साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि 'मेरे बड़े भाई का नाम बृजमोहन है। उनके साले का नाम लालजी है। आज से लगभग 19 वर्ष पूर्व लालजी मेरे घर आये थे। मेरे घर से कन्हैया लाल को अपने घर बुलाये थे। लालजी की बहन का नाम दुर्गावती है। दुर्गावती मेरे बड़े भाई की पत्नी है और मेरी भाभी लगती है। जिस दिन लालजी मेरे घर आये थे, उस दिन लालजी मेरी भाभी के कमरे में कुछ बात कहे थे, मेरी भाभी कुछ पैसा भी लालजी को दी थी और लालजी से कही की जीवन की बात है यह काम हो जाना चाहिए, यह बात मैंने सुनी थी। इसके बाद उसी दिन लालजी सिंह मेरे भाई कन्हैया लाल को सिकटिया आने के लिए कहकर चले गये। उस दिन के दो दिन बाद मेरे भाई कन्हैया लाल साइकिल से सिकटिया लालजी के घर गये थे। उसके तीन–चार दिन बाद मेरे भाई सिकटिया से लौटकर नहीं आये तब हम लोगों ने काफी खोजबीन किया था। पेपर में जब अज्ञात लाश के बारे में पता चला तब मेरे भाई हरिलाल थाना–को० हाटा गये थे तब मेरे भाई ने हाटा कोतवाली में फोटो, कपड़ा व साइकिल की पहचान किया। मेरे भाई कन्हैया लाल मेरी भाभी डांटते थे और मारते भी थे, इससे भाभी अंदर ही अंदर बहुत नाराज रहती थी लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई बृजमोहन की डर की वजह से उनको कुछ बोल नहीं पाती थी तब हमको **आशंका हो गयी** कि मेरे भाई कन्हैया लाल की हत्या मेरी भाभी दुर्गावती ने सांठ–गांठ लालजी सिंह से करके करायी है।' इस प्रकार इस

साक्षी ने मुख्य परीक्षा में घटना का हेतुक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह को देखा जाये तो साक्षी ने **जिरह** में कहा है कि हम पाँच भाई तीन बहनें हैं। मेरे बड़े भाई का नाम बृजमोहन है, उसके बाद कन्हैया सिंह, उसके बाद हरिलाल, उसके बाद प्रदीप सिंह व उसके बाद छोटा भाई चन्दन है। पहली बहन का नाम पार्वती, दूसरी का नाम रामवती व तीसरी बहन का नाम कुसुमावती है। मेरे भाई कन्हैया की उम्र घटना के समय 30 वर्ष थी। मेरे भाई बृजमोहन की शादी सिकटिया गांव में हुई थी। कन्हैया की शादी नहीं हुई थी। घटना के समय हरिलाल की भी शादी नहीं हुई थी, बहनों की शादी हो गयी थी। कन्हैया पैंट शर्ट पहना करते थे। आगे जिरह में कहा है कि 'किस तारीख को मेरे भाई कन्हैया मेरे बड़े भाई बृजमोहन की ससुराल के गांव सिकटिया गये थे, मुझे मालूम नहीं है। मैं किस तारीख को किस महीना में अपने भाई बृजमोहन व हरिलाल के साथ थाना हाटा गया था, नहीं मालूम है। किस तारीख व किस महीना में अभियुक्त लालजी मेरे घर आये थे, मुझे मालूम नहीं है। मेरे भाई कन्हैया पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन घटना के दिन क्या पहनकर गये मुझे नहीं मालूम है। किस तारीख, किस महीने में मेरे भाई घर से गये थे मुझे मालूम नहीं है। जब लालजी मेरे घर गये तो अपनी बहन दुर्गावती से कुछ बात कर रहे थे, क्या बात–चीत हो रही थी याद नहीं है, फिर कहा कि काम हो जाना चाहिए। मेरे भाई रेंजर साइकिल से गये थे। मुझे तारीख याद नहीं है, किस तारीख को मेरे भाई कन्हैया की लाश मिली थी। जहां लाश मिली थी वहां मैं नहीं गया था। मुझे व मेरे परिवार वालो को कन्हैया की लाश नहीं मिली थी। लालजी मेरे घर किस महीना व किस तारीख को गये थे नहीं मालूम है। मृतक कन्हैया की लाश नहीं मिली थी, साइकिल व फोटो मिली थी।' जिरह में यह भी कहा है कि मेरी आँखों के सामने घटना घटित नहीं हुई थी। लालजी को मैं शक के आधार पर मुल्जिम बनाया था। जिस समय लालजी अपनी बहन दुर्गावती के कमरे में गये और दुर्गावती से बात कर रहे थे तब मैं आँगन में था। यह भी कहा है कि कितने रूपये लालजी को मेरी भाभी दी मैं नहीं देख पाया। मेरा भाई कन्हैया व बृजमोहन व मेरी भाभी दुर्गावती तीनों लोग अच्छी तरह से घर में रहते थे। घटना के समय कौन एफ०आई०आर० कराया था, मुझे नहीं मालूम है। इस प्रकार इस साक्षी ने यद्यपि कि मुख्य परीक्षा में घटना का हेतुक (Motive) बताने का प्रयास किया है कि उसका भाई मृतक कन्हैया उसकी भाभी दुर्गावती (सहअभियुक्ता) को डांटता व मारता–पीटता था, जिससे उसकी भाभी नाराज रहती थी और उसने अपने भाई मुल्जिम लालजी सिंह को बुलाकर आपस में मिलकर कन्हैया लाल की हत्या करा दिया, किन्तु साक्षी के उक्त बयान के सम्बन्ध में उसकी जिरह को देखा जाये तो उसने जिरह में कहा है कि उसे यह मालूम नहीं है कि किस महीने, किस तारीख को उसका भाई कन्हैया लाल अपने भाई बृजमोहन की ससुराल सिकटिया गया था। उसे यह भी नहीं मालूम है कि अभियुक्त लालजी सिंह अभियुक्ता श्रीमती दुर्गावती से क्या बातचीत करी थी, कितने रूपये दिये थे। साक्षी ने अपने मृतक भाई की लाश भी नहीं देखा था, उसने कहा है कि जहां लाश मिली थी वह वहां नहीं गया था। साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि

उसने अपनी आँखों से घटना नहीं देखा है, बल्कि आशंका के आधार पर लालजी को मुल्जिम बनाया है। साक्षी ने जहां एक ओर यह कहा है कि उसका भाई मृतक कन्हैया लाल अपनी भाभी दुर्गावती को मारता–पीटता था, जिससे वह नाराज रहती थी, वहीं दूसरी ओर जिरह में यह कहा है कि 'मेरा भाई कन्हैया लाल, बृजमोहन व मेरी भाभी दुर्गावती तीनों लोग अच्छी तरह से घर में रहते थे। अतः इस साक्षी के द्वारा घटना के सम्बन्ध में बताया गया हेतुक व अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना साबित नहीं होता है, बल्कि इस साक्षी का साक्ष्य विरोधाभासी बयान देने के कारण अविश्वसनीय हो जाता है। जहां तक साक्षी **पी०डब्लू–5 मुंशी गुप्ता** की साक्ष्य का प्रश्न है, इस साक्षी को घटना के संबंध में लास्ट सीन का गवाह बताया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि 'घटना हुए 19 साल से ऊपर हो गया है। मैं शाम को खेत के तरफ मवन नाला की तरफ गया तो देखा कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति को साइकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि बहुत दारू पी लिया। वह कौन व्यक्ति थे नहीं पहचान पाया, क्योंकि अँधेरा था। सुबह पता चला कि मवन नाला के पास एक लाश व साइकिल मिली थी। गांव में हल्ला हुआ था।' बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि मवन नाले के पास जो लाश मिली थी उसे कौन लाकर रखा था इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह भी कहा है कि जिस आदमी की लाश मवन नाले के पास मिली थी, उसे कौन ले जा रहा था नहीं बता सकता। जो साइकिल वहां पर मिली थी, किसकी थी जानकारी नहीं है। जिरह में यह भी कहा है कि <u>मैंने किसी भी व्यक्ति को शराब के नशे में घटना के दिन आते–जाते नहीं देखा था। घटना के दिन मैं घर पर था, कहीं गया नहीं था।</u> इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कहा है कि दो व्यक्तियों को साइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा था वह कौन व्यक्ति थे पहचान नहीं पाया था। अतः मुख्य परीक्षा के बयान से ही इस साक्षी के लास्ट सीन का गवाह होने की थ्योरी स्वयेव समाप्त हो जाती है। जिरह में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना के दिन घर पर ही था, वह कहीं गया नहीं था। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। **साक्षी पी०डब्लू–6 राजेश सिंह** मृतक के शव के पंचायतनामा का गवाह है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बृजनरायन के खेत में लाश मिलना और शोर सुनकर वहां जाना बताया है और कहा है कि दरोगा जी ने पंचायतनामा भरा था, उस पर उसने भी हस्ताक्षर बनाया था। बचाव पक्ष की जिरह को देखा जाये तो साक्षी ने **जिरह** में कहा है कि किस तारीख को मृतक की लाश मिली थी, याद नहीं है। लाश किसकी थी यह भी नहीं मालूम है। मृतक को कौन मारा था यह भी नहीं मालूम है। मृतक के शरीर पर कहां कहां चोटें थी, उसने नहीं देखा था। इस प्रकार यह साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन केस को साबित करने में कोई बल नहीं मिलता है। **साक्षी पी०डब्लू–7 हदीश** को सहअभियुक्त शब्बीर उर्फ साधू, जिसका विचारण प्रस्तुत मामले में नहीं हो रहा है, के खून लगे पायजामा की बरामदगी एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा आला कत्ल छुरी की बरामदगी का केस डायरी के अनुसार गवाह बताया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह

कहा है कि 'घटना हुए बीस साल हो गया। पुलिस के लोग गांव में आये थे शब्बीर के बारे में पूछ रहे थे। वहां पर प्रधान व गांव के बहुत से लोग थे। कानूनी कार्यवाही के नाम पर मुझसे व सुरेश से सादे कागज पर दस्तखत करवा लिये थे। मेरे सामने शब्बीर ने कोई पायजामा बरामद नहीं कराया था। मेरे सामने शब्बीर ने किसी कागज पर दस्तखत नहीं किया था। मैं लालजी को नहीं जानता हूँ, लालजी मेरे गांव के नहीं है। पुलिस ने लालजी व शब्बीर को मेरे सामने गिरफ्तार नहीं किया था। लालजी ने कोई चाकू व छुरी बरामद नहीं करवाया था। सादे पेपर पर दरोगा जी ने दस्तखत बनवा लिये थे।' इस प्रकार इस साक्षी ने सादे कागज पर उसका हस्ताक्षर करा लेना कहा है और किसी भी प्रकार की बरामदगी अपने सामने होने से इंकार किया है। यह साक्षी अभियोजन की ओर से **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो, बल्कि बचाव पक्ष की **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि सुरेश प्रधान इस समय मर गये हैं। पुलिस ने कोई पायजामा व छुरी मेरे सामने बरामद नहीं किया था। **साक्षी पी०डब्लू–8 उपनिरीक्षक चन्द्रभान साहनी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 09.05.2005 को बतौर कां० मोहर्रिर थाना हाटा पर तैनात था। साक्षी ने उस दिन बेलवा सुदामा गांव के **चौकीदार काशी** द्वारा लिखित सूचना अज्ञात शव मिलने के बारे में देना बताया है और जिसके आधार पर इस साक्षी ने दिनांक 09.05.2005 को ही जी०डी० में इसका उल्लेख किया था। साक्षी ने शव के पंचायतनामें की कार्यवाही हेतु प्रपत्रों के साथ पुलिसकर्मियों को जाना बताया है और मामले से सम्बन्धित जी०डी० को प्रदर्श क–2 और प्रकरण को अपराध संख्या पर दर्ज होने की नकल स्वयं द्वारा करने तथा उसे तस्दीक करना बताते हुए उसे प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार यह साक्षी प्रथम सूचना की जी०डी० व जी०डी० के आधार पर प्रकरण को अपराध संख्या पर अंकित करने की जी०डी० का गवाह है। बचाव पक्ष की **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि चौकीदार द्वारा दिनांक 09.05.2005 को तहरीर लिखकर दी गयी थी। चौकीदार द्वारा दी गयी मूल तहरीर पत्रावली में शामिल नहीं है। उसने पहले जी०डी० कायमी तैयार किया था, जी०डी० के बाद उसने चिक तैयार किया था। प्रदर्श क–3 उसके हस्तलेख में है। यह भी कहा है कि प्रदर्श क–3 जब जाँचकर्ता जाँच कर आये थे इसके बाद तैयार की थी। रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 की कार्बन प्रति वापसी एस०एस०आई० मु०अप०सं०–219/2005, धारा–302, 201 भा०दं०सं० के आधार पर तैयार की है। प्रदर्श क–3 तहरीर हिन्दी वादी की मूल पत्रावली में नहीं है। यह भी कहा है कि जाँचकर्ता की लिखित सूचना के आधार पर घटना का संक्षिप्त विवरण मैंने प्रदर्श क–3 में दर्ज किया था। पत्रावली में नकल चिक नहीं है। प्रदर्श क–3 प्रमाणित मूल प्रति है। आगे जिरह के अंत में कहा है कि पंचायतनामा होने के बाद मैंने प्रदर्श क–3 तैयार किया, जिसका उल्लेख रपट नं० 19 में दिनांक 12.05.2005 को अंकित है। अभियुक्त का नाम पता विवेचक ने अपने वापसी रपट नं० 19 दिनांक 12.05.2005 में उल्लेख किया है, उसी आधार पर प्रदर्श क–3 स्पेशल रिपोर्ट

तैयार की गयी। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से मात्र इतना साबित है कि अज्ञात लाश की सूचना प्राप्त होने पर इसने उसका अंकन जी०डी० में किया था और दिनांक 12.05.2005 को जाँचकर्ता द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गयी थी तथा सूचना को अपराध संख्या पर लिया गया था। इस प्रकार यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, इसके द्वारा जी०डी० आदि प्रपत्रों को साबित किया गया है। **साक्षी पी०डब्लू–9 एस०एफ० सिद्दीकी** प्रस्तुत मामले का विवेचक है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा तैयार किये गये पुलिस पत्रों को साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी **जिरह** में साक्षी ने कहा है कि उसे विवेचना दिनांक 12.05.2005 को मिली थी। उसकी वापसी के बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में उसे **चौकीदार काशी** की तहरीर, पंचायतनामा व पी०एम० रिपोर्ट मिली थी। पंचायतनामा के समय मृतक की पहचान किसी ने नहीं किया था। चौकीदार की तहरीर मूल इस पत्रावली में नहीं है। आला कत्ल कपड़े व माल मुकदमाती इस समय उसके सामने नहीं हैं। मृतक अंतिम बार लालजी के साथ देखा गया था, यह बात नरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान ने बतायी थी, अन्य किसी गवाह ने लालजी को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने की बात नहीं बतायी थी। मृतक की हत्या का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। आगे कहा है कि मृतक के शव की पहचान मृतक के भाई ने दिनांक 12.05.2005 को उसके फोटो व कपड़े देखकर किया था। अभियुक्त लालजी की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी घटना स्थल के पास से ही शीशम के झाड़ से हुई थी, तारीख व समय याद नहीं है। आला कत्ल की फर्द मौके पर तैयार की गयी थी, समय याद नहीं है। फर्द बरामदगी उसने तैयार किया था। अभियुक्त शब्बीर उर्फ साधू का खून लगा पायजामा बरामद हुआ था। जिरह में आगे कहा है कि घटना स्थल का निरीक्षण उसने वादी मुकदमा काशी की निशानदेही पर किया था। मृतक की जहां लाश मिली थी, वहीं उसकी हत्या हुई थी। किसी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना होते नहीं देखा था इसलिए जहां मृतक का शव पड़ा था, वहीं उसकी हत्या का स्थान है, लेकिन पर्टीकूलर स्थान नक्शा नजरी में दर्शित नहीं किया है। आगे जिरह में कहा है कि हत्या की साजिश मृतक के घर पर अभियुक्त लालजी सिंह व उसकी बहन दुर्गावती द्वारा की गयी थी। मृतक के दोनों भाईयों ने साजिश को सुना था। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसे दिनांक 12.05.2005 को मिला था। मृतक के गले व अन्य भाग में चोटें थीं। जिरह के पेज 6 पर कहा है कि सभी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी उसने किया था, कहां व किस समय की गिरफ्तारी है याद नहीं है। यह भी कहा है कि प्रदर्श क–3 की मूल तहरीर पत्रावली में नहीं है। मृतक के भाई के बयान से अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया था। मृतक के उस भाई का नाम याद नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने मामले की विवेचना किया है। साक्षी ने सभी अभियुक्तगण को स्वयं द्वारा गिरफ्तार किया जाना बताया है और कहा है कि अभियुक्त लालजी सिंह की निशानदेही पर आला कत्ल छुरी शीशम के पेड़ के पास से बरामद हुई थी, किन्तु कथित छुरी की बरामदगी के संबंध में परीक्षित कराये गये स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू–7 हदीश ने अपने सामने किसी छुरी की बरामदगी होने से

इंकार किया है। कथित छुरी न्यायालय में पेशकर साबित भी नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी कि अभियोजन का छुरी के संबंध में कोई अभियोग/केस भी नहीं है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दिनांक 20.06.2025 को निरीक्षक गुलाब यादव द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जिसे अभियोजन द्वारा सबमिट किया गया है। उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रमाणित प्रति पर कोई प्रदर्श नहीं डाला गया है, चूँकि यह वैज्ञानिक साक्ष्य है जो साक्ष्य में ग्राह्य है। अतः उस पर न्यायालय द्वारा **प्रदर्श क–19** डाला जाता है। इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–19 में परीक्षण हेतु भेजे गये मिट्टी खून आलूदा व सादा मिट्टी, चाकू, पायजामा, पैंट, बेल्ट, टीशर्ट, अंगोछा, बनियान, अण्डरबियर, मोजा, रूमाल, जनेऊ, कलावा और जूता पर रक्त पाये जाने की पुष्टि हुई है। वस्तुओं पायजामा, पैंट, टीशर्ट, अंगोछा, बनियान, अण्डरबियर, रूमाल तथा जनेऊ पर मानव रक्त पाये जाने की पुष्टि हुई है, जिससे मात्र यह साबित होता है कि मृतक कन्हैया लाल की मृत्यु धारदार हथियार से गम्भीर चोट पहुँचाकर कारित हुई है, किन्तु अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि मृतक कन्हैया लाल की हत्या अभियुक्त लालजी सिंह द्वारा ही की गयी है।

47. पुनः उल्लेखनीय है कि मामला **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त जिनका उल्लेख किया जा चुका है, के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मृतक कन्हैया लाल को मृत्यु से ठीक पूर्व जीवित अवस्था में देखे जाने (Last Seen) के किसी गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया है, जिसे उसे लास्ट सीन का गवाह होना साबित माना जाये। घटना का बताया गया हेतुक भी साबित नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि हेतु अत्यन्त ही मजूबत एवं अकाट्य साक्ष्य की आवश्यकता होती है। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा दी गयी साक्ष्य की कड़ियाँ एक–दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि बिखरी हुई हैं। अभियोजन साक्ष्य से **अभियुक्त लालजी सिंह** के द्वारा दिनांक 09.05.2005 को बहद स्थान–बेलवा सुदामा, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक साजिश करके मार–पीटकर कन्हैया लाल की हत्या कारित करना तथा उसकी लाश को साक्ष्य के विलोपन के आशय से जला देने का लगाया गया आरोप साबित नहीं होता है।

48. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **लालजी सिंह** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–302/120B, 201 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त लालजी सिंह आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त **लालजी सिंह** को सत्र परीक्षण सं०-128/2006, सरकार बनाम लालजी सिंह, मुकदमा अपराध संख्या-219/2005, **अन्तर्गत धारा-302/120B, 201 भा०दं०सं०** के आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त लालजी सिंह प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उसके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त लालजी सिंह की ओर से धारा-437(ए) दं०प्र०सं० का अनुपालन किया जा चुका है, इसके अन्तर्गत दाखिल जमानतनामें व बन्धपत्र नियमानुसार अपीलीय अवधि तक यथावत बने रहेंगे।

निर्णय की एक प्रति इस मामले से पृथक की गयी पत्रावली सत्र परीक्षण सं०-5/2023, सरकार बनाम शब्बीर उर्फ साधू आदि पर भी रखी जाय।

दिनांक 23.07.2026 **(राम अवतार यादव)**
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,
कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 23.07.2026 **(राम अवतार यादव)**
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,
कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.07.23 16:42:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court